नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा

Town Official Language Implementation Committee, Noida

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

Ministry of Home Affairs, Govt. of India

सचिवालय : भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

Secretariat : Inland Waterways Authority of India

ए–13, सैक्टर–1, नौएडा–201 301, दूरभाष : 0120–2521724, फैक्स : 0120–2543973, ई–मेल : iwainoi@nic.in

सं.–न.रा.का.स. / भा.अ.ज.प्रा. / हि / 2 / 2017 दिनांक 14.11.2018

सेवा में

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा
के सभी सदस्य कार्यालयों के प्रमुख।

विषय : **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा के तत्वावधान में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर–24, नौएडा के सौजन्य से दिनांक 21.12.2018 को दोपहर 2.30 बजे से 'राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान' प्रतियोगिता का आयोजन।**

मान्यवर महोदय / महोदया,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा के तत्वावधान में **वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर–24, नौएडा के सौजन्य से दिनांक 21.12.2018 को दोपहर 2.30 बजे से 'राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान' प्रतियोगिता** का आयोजन किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रतियोगिता में अपने यहाँ से अधिकतम तीन प्रतिनिधियों को नामित करते हुए उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए निदेश देने की कृपा करें।

नामित प्रतिनिधि की पुष्टि **श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक,वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर–24, नौएडा को उनके दूरभाष सं0–0120–2411533–35 / विस्तार–263, मो.–9910389033 पर दिनांक 14.12.2018** तक अवश्य कराने का कष्ट करें। सुविधा के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर–24, नौएडा की ओर से भेजे गए पत्र, नामांकन प्रपत्र और प्रतियोगिता से संबंधित अन्य विवरण इस पत्र के साथ संलग्न किए जा रहे हैं।

भवदीय

14/11/18

(अरविन्द कुमार)
सदस्य सचिव

संलग्न–यथोक्त।

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, न.रा.का.स., नौएडा के प्रधान निजी सचिव
2. सचिव, भा.अ.ज.प्रा. के निजी सहायक
3. श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. श्रीमती दुर्गा पाण्डेय, संयोजक, प्रतियोगिता समिति, न.रा.का.स., नौएडा एवं वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि0, पावर सेक्टर, उत्तरी क्षेत्र, सैक्टर–16ए, नौएडा, सूचनार्थ।
6. उपनिदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर), 302,सी0जी0ओ0 भवन – 1, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद – 201002

Issued
16/11/18

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

V.V. GIRI NATIONAL LABOUR INSTITUTE

(An Autonomous Body of Ministry of Labour and Employment, Government of India)

Tel. : 2411 533-34-35
Fax : 2411 536
2411 471/474
Website : www.vvgnli.gov.in
Twitter Handles : @LabourMinistry
@Dattatreya

रा.भा./001/10/नराकास

12 नवंबर 2018

श्री अरविन्द कुमार
सदस्य सचिव
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
ए - 13, सैक्टर - 1, नौएडा

विषय: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा के तत्वावधान में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा 'राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता' का आयोजन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय संबंधी दिनांक 08.10.2018 के अपने पत्र सं. न.रा.का.स./भा.अ.ज.प्रा./हि./2/2017 का संदर्भ लें। इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा के तत्वावधान में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा 'राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता' का आयोजन दिनांक 21 दिसंबर 2018 को अपराह्न 2.30 बजे से किया जा सकता है। एक घंटे की अवधि वाले प्रश्न पत्र में कुल 60 प्रश्न होंगे, जिनमें पहले 40 प्रश्न एक-एक अंक के तथा शेष 20 प्रश्न दो-दो अंक के होंगे। इस प्रकार यह प्रश्न-पत्र 80 अंकों का होगा।

प्रतिभागियों की सुविधा के लिए राजभाषा एवं जनगणना 2011 संबंधी प्रमुख जानकारी संलग्न की जा रही है। जनगणना 2011 के अलावा सामान्य ज्ञान के विषय इस प्रकार होंगे: भारत की राजनैतिक व्यवस्था (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संसद, विधान सभा एवं विधान परिषद); स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएँ एवं नेता; भारत में सबसे प्रथम/बड़ा/ऊँचा/लंबा व्यक्ति/स्मारक/बाँध/नदी/पुल आदि; भारत के राष्ट्रीय प्रतीक; सभी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन; तथा वर्ष 2018 में हुए खेलों (राष्ट्रमंडल खेल एवं एशियाड सहित) में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सभी सदस्य कार्यालयों को सूचित करने का कष्ट करें एवं प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

भवदीय,

(हर्ष सिंह रावत)
प्रशासन अधिकारी

संलग्नक: प्रतियोगिता का विवरण, नामांकन प्रपत्र तथा राजभाषा एवं जनगणना 2011 संबंधी प्रमुख जानकारी

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर - 24, नौएडा - 201301

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए
'राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता'

प्रतियोगिता का विवरण

1.	प्रतियोगिता की तिथि/समय	21 दिसंबर 2018 / अपराह्न 2.30 बजे से
2.	प्रतियोगिता का स्थान	सेमिनार खंड, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान सैक्टर - 24, नौएडा - 201 301
3.	प्रतिभागी	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा के प्रत्येक सदस्य कार्यालय के कर्मचारी (एक कार्यालय से अधिकतम तीन प्रतिभागी, **हिन्दी के पदों पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/ राजभाषा प्रभारी भाग नहीं ले सकेंगे)**
4.	विषय	एक घंटे की अवधि वाले प्रश्न पत्र में कुल 60 प्रश्न होंगे, जिनमें पहले 40 प्रश्न एक-एक अंक के तथा शेष 20 प्रश्न दो-दो अंक के होंगे। इस प्रकार यह प्रश्न-पत्र 80 अंकों का होगा। प्रतिभागियों की सुविधा के लिए राजभाषा एवं जनगणना 2011 संबंधी प्रमुख जानकारी संलग्न की गई है। जनगणना 2011 के अलावा सामान्य ज्ञान के विषय इस प्रकार होंगे: भारत की राजनैतिक व्यवस्था (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संसद, विधान सभा एवं विधान परिषद); स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएँ एवं नेता; भारत में सबसे प्रथम/बड़ा/ऊँचा/लंबा व्यक्ति/स्मारक/बाँध/नदी/पुल आदि; भारत के राष्ट्रीय प्रतीक; सभी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन; तथा वर्ष 2018 में हुए खेलों (राष्ट्रमंडल खेल एवं एशियाड सहित) में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
5 .	पुरस्कार	प्रथम - ₹ 2000 द्वितीय - ₹ 1500 तृतीय - ₹ 1200 प्रोत्साहन - ₹ 1000 (प्रत्येक 15 प्रतिभागियों पर एक, अधिकतम 05)
6.	नामांकन भेजने की अंतिम तिथि	14 दिसंबर 2018
7.	संपर्क सूत्र	श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक- 9910389033 0120 - 2411533-35 / विस्तार - 263 ई-मेल: bssrawat@yahoo.co.in

नामांकन निम्नलिखित को भेजे जाएंगे:

श्री हर्ष सिंह रावत
प्रशासन अधिकारी
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर - 24, नौएडा - 201 301

नामांकन - प्रपत्र

सेवा में,

श्री हर्ष सिंह रावत
प्रशासन अधिकारी
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर - 24, नौएडा - 201301

विषय: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा के तत्वावधान में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2018 को अपराह्न 2.30 बजे से `राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता` का आयोजन

महोदय,

हम अपने कार्यालय से निम्नलिखित प्रतिभागी को नामांकित कर रहे हैं।

1. प्रतिभागी का नाम :.....
2. पदनाम :.....
3. प्रतिभागी का दूरभाष (मो.):.....
4. कार्यालय का नाम :.....
5. कार्यालय प्रमुख का नाम :.....
6. कार्यालय का फोन नं./फ़ैक्स :.....
7. दिनांक :.....

.....

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर व मोहर

राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रावधान/घटनाक्रम

1. **संवैधानिक प्रावधान:** भारत के संविधान के भाग 5 (अनुच्छेद 120), भाग 6 (अनुच्छेद 210) एवं भाग 17 (अनुच्छेद 343 से 351)

भाग 5 (अनुच्छेद 120): संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा

संसद में कार्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु राज्यसभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को, जो हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

भाग 6 (अनुच्छेद 210): विधान मण्डल में प्रयुक्त होने वाली भाषा

राज्य के विधान मण्डल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं है।

भाग 17: संघ की राजभाषा

अनुच्छेद 343 (1): संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

अनुच्छेद 343 (2): संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष तक की अवधि तक उन सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका पहले प्रयोग किया जा रहा था।

परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

अनुच्छेद 343 (3): इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा -

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344: राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति के गठन का प्रावधान।

अनुच्छेद 345-347: प्रादेशिक भाषाओं (राज्यों की राजभाषा या राजभाषाओं, पत्राचार की भाषा, आदि) संबंधी प्रावधान।

(अ) क्षेत्र "क" में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, और झारखंड राज्य तथा दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र हैं।

(ब) क्षेत्र "ख" में पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र हैं।

(स) क्षेत्र "ग" में, खंड "अ" एवं "ब" में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं।

नियम 5: हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से हिन्दी में दिए जाएंगे।

नियम 7: कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

नियम 8: (1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिन्दी या अंग्रेजी लिख सकता है।

नियम 8: (4) अधिसूचित कार्यालयों द्वारा हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूपण और अन्य ऐसे शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाते हैं।

नियम 9 हिन्दी में प्रवीणता - यदि किसी कर्मचारी ने -

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा उसके समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; या

(ग) यदि वह नियमों के उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

नियम 10 हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान

(1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने

(i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की है; या

(ii) केंद्रीय सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

सदस्य - विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव स्तर या उच्चतर स्तर के अधिकारी

उद्देश्य - मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाना।

(v) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

अध्यक्ष - विभाग में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव स्तर या उच्चतर स्तर के अधिकारी

सदस्य - विभाग एवं संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी एवं राजभाषा अधिकारी/प्रभारी

उद्देश्य - तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय सुझाना। आवधिकता - 3 महीने में एक बार

(vi) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

अध्यक्ष - नगर में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों में से वरिष्ठतम अधिकारी

सदस्य - नगर में स्थित केंद्र सरकार के सदस्य कार्यालयों के प्रमुख

उद्देश्य - नगरों में स्थित केंद्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा समन्वयन सहित राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाना। आवधिकता - 6 महीने में एक बार

7. केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान का गठन 1985 में किया गया, तथा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण के चार पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत निर्धारित हैं।

8. अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ और इसके अध्यक्ष श्री बी जी खेर थे। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष श्री जी बी पंत थे।

9. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिन्दी समिति का गठन सर्वप्रथम 05.09.1967 को किया गया तथा इस समिति की पहली बैठक 02.12.1967 को हुई। संसदीय राजभाषा समिति का गठन (तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता की अध्यक्षता में) 1976 में किया गया।

10. सर्वप्रथम 1977 में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने और फिर 1988 में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री पी वी नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र की आमसभा को हिन्दी में संबोधित किया।

जनगणना : 2011 एक दृष्टि में

	राज्य	जनसंख्या	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	घनत्व (रैंक)	साक्षरता (प्रतिशत में)	लिंगानुपात
	उत्तर प्रदेश	19,95,81,477	20.09	828(4)	69.72	908
	महाराष्ट्र	11,23,72,972	15.99	365 (11)	82.91	925
	बिहार	10,38,04,637	25.07	1102 (1)	63.82	916
	प. बंग	9,13,47,736	13.93	1029 (2)	77.08	647
4,93,86,799	आन्ध्र प्रदेश	8,46,65,533	11.10	308 (14)	67.66	992
	मध्य प्रदेश	7,25,97,565	20.30	236 (17)	70.63	930
	तमिलनाडु	7,21,38,958	15.60	555 (6)	80.33	995
	राजस्थान	6,86,21,012	21.44	201 (18)	67.06	926
	कर्नाटक	6,11,30,704	15.67	319 (13)	75.60	968
	गुजरात	6,03,83,628	19.17	308 (15)	79.31	918
	ओडिशा	4,19,47,358	13.97	269 (16)	73.45	978
	केरल	3,33,87,677	4.86	859 (3)	93.91	1084
	झारखण्ड	3,29,66,238	22.34	414 (8)	67.63	947
	असोम	3,11,69,272	16.93	397 (9)	73.18	954
	पंजाब	2,77,04,236	13.73	550 (7)	76.68	893
	छत्तीसगढ़	2,55,40,196	22.59	189 (20)	71.04	991
	हरियाणा	2,53,53,081	19.90	573 (5)	76.64	877
	जम्मू-कश्मीर	1,25,48,926	23.71	124 (22)	68.74	883
	उत्तराखण्ड	1,01,16,752	19.17	189 (19)	79.63	863
	हिमाचल प्रदेश	68,565,09	12.81	123 (23)	83.78	974
	त्रिपुरा	36,71,032	14.75	350 (12)	87.75	961
	मेघालय	29,64,007	27.82	132 (21)	75.48	986
	मणिपुर	27,21,756	18.65	122 (24)	79.85	987
	नागालैण्ड	19,80,602	-0.47	119 (5)	80.11	931
	गोवा	14,57,723	8.17	394 (10)	87.40	968
	अरुणाचल प्रदेश	13,82,611	25.92	17 (28)	66.95	920
	मिजोरम	10,91,014	22.78	52 (27)	91.58	975
	सिक्किम	6,07,688	12.36	86 (26)	82.20	889
	दिल्ली	1,67,53,235	20.96	11297	86.34	866 (4)
	पुदुचेरी	12,44,464	27.72	2598	86.55	1038 (1)
	चण्डीगढ़	10,54,686	17.1	9252	86.43	818 (5)
	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	3,79,944	6.7	46	86.27	878 (3)
	दादरा एवं नगर हवेली	3,42,853	55.5	698	77.65	775 (6)
	दमन दीव	2,42,911	53.5	2169	87.07	618 (7)
	लक्षद्वीप	64,429	6.2	2013	92.28	946 (2)
	भारत	1,21,01,93,422	17.64	382	74.04	940
	तेलंगाना	3,51,93,978		310	66.50	